"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010—पौष 3, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 117/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/10/3353 A.—दिनांक 24-12-2010 को नगर पंचायत थानखम्हरिया के 02 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-117/रानिआं/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. अशोक कुमार बिन्दल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत थानखम्हरिया, जिला-दुर्ग, छ. ग.

2. नीता अशोक सिंघानिया, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, थानखम्हरिया, जिला-दुर्ग, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत थानखम्हरिया के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत थानखम्हरिया के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों अशोक कुमार बिंदल द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है तथा नीता अशोक सिंघानिया द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 25 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त 2 अभ्यर्थियों को दिनांक 11 जून 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी नीता अशोक सिंघानिया को दिनांक 1 जुलाई 2010 को तामील किया गया है. अभ्यर्थी अशोक कुमार बिन्दल ने कारण बताओ नोटिस लेने से इंकार किया अत: यह माना जाता है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस तामील हो चुकी है. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को विधिवत् तामील होने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब निर्धारित अवधि अथवा उसके बाद आज दिनांक पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. अधिनियम की धारा 32-क (1) की निम्नानुसार है :—
"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :—
"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**— अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पचांयत थानखम्हरिया के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अशोक कुमार बिन्दल द्वारा परिशिष्ट छत्तीस में उल्लेख अनुसार दिनांक 27 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा विहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा दिनांक 27 दिसम्बर 2009 को की गई थी. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिवस की कालावधि दिनांक 26 जनवरी 2010 सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 27 जनवरी 2010 को पूर्ण होती है. अतएव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी अशोक कुमार बिन्दल द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट छत्तीस में 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने की तिथि 25 जनवरी 2010 त्रुटिपूर्ण परिगणित होने से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया. अत: अभ्यर्थी अशोक कुमार बिन्दल के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है.

6. अभ्यर्थी नीता अशोक सिंघानिया ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में अथवा उसके पश्चात् दाखिल नहीं किया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना नहीं दिया; अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि नीता अशोक सिंघानिया प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी नीता अशोक सिंघानिया निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष दस माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 24 दिसम्बर 2010 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.